



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹30,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 416/2011 धारा-304 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अभियुक्तगण 1.रामविलास पुत्र ललई विश्वकर्मा उर्फ सुरेन्द्र दत्त 2.मनोज पुत्र ललई विश्वकर्मा उर्फ सुरेन्द्र दत्त नि0गण ग्राम भौली थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को ₹15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
सुभाष कुमार
श्रीवास्तव



विवेचक-
उ0नि0 आर0एस0एस0
तिवारी



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 रजनीश कुमार